न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–66 / 2019
GCMS NO:- 2019/00395
दायर दिनांकः 15.07.2019
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. सोजीलाल आ0 रूपा जाति बैरवा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. नर्बदा पुत्री रूपा जाति बैरवा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह आ0 भूर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. स्वरूप सिंह आ0 भूर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

—प्रत्यार्थी

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 11.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कोरमा पटवार मण्डल कोरमा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 907,912,913,914,915,916,917,918,919 कुल किता 9 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की तथा खसरा संख्या 937 व 954 अप्रार्थी संख्या 2 स्वरूप सिंह की स्थित है। यह कि प्रार्थी की भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता बाछौला से कोरमा के ग्रेवल रोड से फटकर खसरा संख्या 954 की उत्तरी मेड पर होता हुआ खसरा संख्या 937 मे होता हुआ प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा संख्या 919 में पहुंचता हैं। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 25 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अपने जवाब में अप्रार्थी संख्या 2 ने निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम कोरमा से पूर्व दिशा में जो पक्की डामर सडक बाछोला जाती है। इस सडक की उत्तर की ओर 15 फूट चौडा रास्ता सीधा प्रार्थी की जमीन मकान खेत पर बने हुए तक शुरू से ही बना हुआ इसी मे होकर प्रार्थी आता जाता है जो वर्तमान में भी चालू हालत मे है। यह रास्ता सरकारी जमीन पर बना है। यह कि अप्रार्थीगण की खाते की जमीन व फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रार्थी ने जान बूझकर हमारे खाते की जमीन से नया रास्ता प्रकिया का दुरूपयोग करके लेना चाहता है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी सोजीलाल की भूमि पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 937 रकबा 14–07 बीघा किस्म बारानी 3 स्वरूप सिंह पि0 भूरसिंह जाति राजपूत के खेत से होकर 64 गठ्ठे(426.24 फीट) लम्बाई तथा 2 गठ्ठे चौडाई जिसका क्षेत्रफल 128 वर्ग गठ्ठा अर्थात 6.51 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तावित है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब अप्रार्थी एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट खानपुरा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:45:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के सार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम खानपुरा पटवार मण्डल खानपुरा तहसील नैनवां में ार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 907,912,913,914,915,916,917,918,919 कुल किता 9 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 937 रकबा 14—07 बीघा किस्म बारानी 3 स्वरूप सिंह पि0 भूरसिंह जाति राजपूत के खेत से होकर 64 गठ्ठे(426.24 फीट) लम्बाई तथा 2 गठ्ठे चौडाई जिसका क्षेत्रफल 128 वर्ग गठ्ठा अर्थात 6.51 बिस्वा भूमि पर, जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:45:51 IST
Reason: SelfAttested